न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 277 / 2022

GCMS NO. 2022/824

1. बाबूलाल पुत्र जगुराम
2. नेतराम पुत्र जगुराम
   जाति माली निवासी ढाणी चाचावाली संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
3. श्री गणेश माईन्स एण्ड मिनरलस राजस्व ग्राम अजयनगर तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राज0

..................वादीगण

– बनाम –

1. कमल सिंह पुत्र बगडावत सिंह जाति राजपूत निवासी नई ढाणी तन् संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
2. कंवरी बाई पुत्री साधुसिंह
3. कृष्ण सिंह पुत्र साधुसिंह
4. कृष्णा देवी पत्नी रिछपाल सिंह
5. किरण बाई पत्नी शेतान सिंह
6. कोयल कंवर पुत्री मालसिंह
7. कौशल्या पुत्री साधुसिंह
8. गुड्डी पुत्री रिछपाल सिंह
9. गुलाब पत्नी साधुसिंह
10. जगदीश सिंह पुत्र भगवानसिंह
11. दीपा पुत्री साधुसिंह
12. धापा देवी पत्नी जोर सिंह
13. बुगली पुत्री साधुसिंह
14. भागीरथ सिंह पुत्र बीजू सिंह
15. मुकेश पुत्री रिछपाल सिंह
16. मूर्ति देवी पत्नी भगवान सिंह
17. महेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
18. महिपाल पुत्र मालसिंह
19. महिपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
20. महिपाल सिंह पुत्र साधुसिंह
21. मोहरसिंह पुत्र जोर सिंह
22. रूपचन्द सिंह पुत्र साधुसिंह
23. राजू सिंह पुत्र शेतान सिंह
24. रोहताशसिंह पुत्र शेतानसिंह
25. लीलूसिंह पुत्र भगवान सिंह
26. सत्यवीर सिंह पुत्र ओमसिंह
27. संतरा देवी पत्नी स्व. मालसिंह
28. सुभाषसिंह पुत्र ओमसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

29. सुरेश सिंह पुत्र साधुसिंह
30. सरोज देवी पत्नी ओमसिंह
31. सावत्री पुत्री साधुसिंह
32. सांवरसिंह पुत्र बचनसिंह
33. हवासिंह पुत्र मालसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी चाचावाली तन संयजनगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
34. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
35. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार खेतडी जिला झुंझुनूं राज0।

...........प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह कसाणा — अभिभाषक — वादीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 04.11.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 05.02.2024 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके राजस्व ग्राम **अजयनगर** तहसील खेतडी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया **90** में दर्ज खसरा नम्बर क्रमशः 3623, 3624, 3626 कुल किता 3 कुल रकबा 2.48 हेक्टेयर में वादी संख्या 3 का 1/2 हिस्से की भूमि का मौका कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को 1000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से, मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये रास्ता कायम कर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना मे विभाजन प्रस्ताव तेयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2823 दिनांक 20.08.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 को अधिवक्ता वादीगण को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 के मुताबिक वाद वादीगण अंतिम डिक्री जार दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 2
मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात का आद्योपान्त
वादीगण की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी श्री विजयपाल नायब तहसीलदार बबाई के द्वारा दिनांक 26.07.2024 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06—11—2004 व राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज—6 / 2021 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30—09—2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म. / न्याय / स्था. / प—15 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05—10—2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 में भी यही आदेश दिया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी विजयपाल, नायब तहसीलदार बबाई द्वारा दिनांक 26.07.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 (प्रदर्श—'अ—1 से 11' व 'ब') के अनुसार वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 (प्रदर्श—'अ—1 से 11' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श—'अ—1 से 11' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श—'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ★ जिला- नीमकाथाना (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)

1. बाबूलाल पुत्र जगुराम
2. नेतराम पुत्र जगुराम
   जाति माली निवासी ढाणी चाचावाली संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
3. श्री गणेश माईन्स एण्ड मिनरलस राजस्व ग्राम अजयनगर तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राज0

..................वादीगण

– **बनाम** –

1. कमल सिंह पुत्र बगडावत सिंह जाति राजपूत निवासी नई ढाणी तन् संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
2. कंवरी बाई पुत्री साधुसिंह
3. कृष्ण सिंह पुत्र साधुसिंह
4. कृष्णा देवी पत्नी रिछपाल सिंह
5. किरण बाई पत्नी शेतान सिंह
6. कोयल कंवर पुत्री मालसिंह
7. कौशल्या पुत्री साधुसिंह
8. गुड्डी पुत्री रिछपाल सिंह
9. गुलाब पत्नी साधुसिंह
10. जगदीश सिंह पुत्र भगवानसिंह
11. दीपा पुत्री साधुसिंह
12. धापा देवी पत्नी जोर सिंह
13. बुगली पुत्री साधुसिंह
14. भागीरथ सिंह पुत्र बीजू सिंह
15. मुकेश पुत्री रिछपाल सिंह
16. मूर्ति देवी पत्नी भगवान सिंह
17. महेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
18. महिपाल पुत्र मालसिंह
19. महिपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
20. महिपाल सिंह पुत्र साधुसिंह
21. मोहरसिंह पुत्र जोर सिंह
22. रूपचन्द सिंह पुत्र साधुसिंह
23. राजू सिंह पुत्र शेतान सिंह
24. रोहताशसिंह पुत्र शेतानसिंह
25. लीलूसिंह पुत्र भगवान सिंह
26. सत्यवीर सिंह पुत्र ओमसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

27. संतरा देवी पत्नी स्व. मालसिंह
28. सुभाषसिंह पुत्र ओमसिंह
29. सुरेश सिंह पुत्र साधुसिंह
30. सरोज देवी पत्नी ओमसिंह
31. सावत्री पुत्री साधुसिंह
32. सांवरसिंह पुत्र बचनसिंह
33. हवासिंह पुत्र मालसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी चाचावाली तन् संयजनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0

34. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
35. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :– 277/2022

GCMS NO. 2022/824

निर्णय दिनांक :– 04.11.2024

वादीगण की ओर से **श्री विजय सिंह कसाणा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **04.11.2024** को **बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 11' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 11' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **04.11.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
सत्यमेव जयते
जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested